न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व अपील:: 26/2020 ::

जीसीएमएस नम्बर :: 2020/00212

अपीलांट :–	बनाम	रेस्पोडेन्टगण :–
हरीसिंह पुत्र भीमसिंह जी जाति राजपुरोहित निवासी गाँव धर्मधारी, तहसील–रोहट, जिला पाली (राज.)		1. भवानीसिंह पुत्र पीरसिंह 2. गेन्द कंवर पत्नी पीरसिंह 3. सन्तोष कंवर पुत्री पीरसिंह 4. सम्पत कंवर पुत्री पीरसिंह जातिगण राजपूत निवासी जवडिया तहसील व जिला पाली 5. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, पाली तहसील व जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता अपीलांट श्री राजेन्द्र सिंह राजपुरोहित
2 अधिवक्ता रेस्पोडेंट श्री इन्द्र कुमार सोलंकी

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 28.10.2020

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1155 ग्राम जवड़िया जो दिनांक 12.05.2016 को नायब तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत किया गया उसे निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलांट म्याद बाहर होने से अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रस्तुत करते हुए उसके समर्थन में एक शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है अपील अपीलांट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटगण को तलब किया गया एवं मूल नामान्तरकरण संख्या 1155 तहसीलदार पाली से तलब किया जाकर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम जवड़िया के खसरा नम्बर 148/1 रकबा 3.18 बीघा किस्म B II कृषि भूमी में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के पिता पीरसिंह 1/3 हिस्सा व अपीलांट का 2/3 हिस्सा अवस्थित था रेस्पोडेन्टगण 1 से 4 के पिता पीरसिंह ने अपने परिवार की जायज जरूरतो के लिए खसरा नम्बर 148/1 में स्थित अपने सम्पूर्ण 1/3 हिस्से का बेचाण अपीलार्थी के पक्ष में जरिए पंजीबद्ध विक्रय के अपीलार्थी को बेचाण 12.08.2013 को ही कर दिया था। विक्रय पत्र की फोटो प्रति पत्रावली संलग्न है। उक्त विक्रय पत्र में बेचाणकर्ता पीरसिंह के पुत्र भवानीसिंह की साक्ष्य भी डाली हुई है। जिसकी प्रति उपपंजियक द्वारा अमलदरामद हेतु सम्बन्धित तहसीलदार को भेजने का भी प्रावधान होने के बावजूद भी विक्रय पत्र की एक फोटोप्रति अपीलार्थी द्वारा तत्समय ही पटवार हल्का पुनायता को राजस्व रेकर्ड में वास्ते अमलदरामद दे दी गई थी तथा कब्जे के संदर्भ में किसी प्रकार का आदिनांक विवाद नहीं है तब से ही कब्जा बतौर क्रेता एवं खातेदार के अकेले अपीलार्थी का ही निर्बाध रूप से चला आ रहा है। रेस्पोडेंटगण के पिता/पति द्वारा एक बार बेचान कर दिए जाने के बाद रेस्पोडेंटगण 1 से 4 का किसी प्रकार का हक अथवा कब्जा उक्त भूमी पर नही रहा इसकी जानकारी रेस्पोडेंटगण को थी।

उपरोक्त सभी तथ्यों के बाव[illegible]सिंह की मृत्यु के उपरान्त पटवार हल्का द्वारा जानकारी [illegible] गई भूमी का पीरसिंह के विधिक वारिसान के नाम नामान्तरकरण [illegible] पारित करवा दिया गया जिससे अपीलांट को सख्त प्रिज्यूडिश हुई उक्त [illegible]धानिक नियम विरूद्ध तत्कालीन नायब तहसीलदार पाली एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 भवानीसिंह द्वारा मिलीवट कर किया गया है तथा नामान्तरकरण संख्या 1155 भरा जाकर पारित कर दिया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:36:20 IST
Reason: SelfAttested

क्रमश..........2

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

एवं बाद में रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपनी माता गेन्द कंवर एवं बहन सम्पत कंवर द्वारा उसके हक में हकतर्क नामे सम्पादित करवाकर स्वयं के पक्ष में हकतर्क नामें का नामान्तरकरण संख्या 1196 दर्ज करवा दिया इस प्रकार का दस्तावेज प्रारम्भ से शुन्य (ab initio void) दस्तावेज होने से निरस्त योग्य है बेचाण विक्रेता द्वारा कर दिए जाने के बाद उसके पुत्र, पुत्रियों अथवा पत्नी का हक अधिकार नहीं रह जाता है।

इस अपील में ऐसा जान बूझकर किया गया है जो निरस्त फरमाया जावे। अपीलाधीन नामान्तरकरण की सर्वप्रथम अपीलांट को जानकारी दिनाँक 22.09.2020 को जमाबन्दी की प्रति पटवार हल्का पुनायता से प्राप्त करने पर पता चला कि उसके द्वारा भूमी जरिये पंजीबद्ध दस्तावेज के क्रय करने के बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के नाम जमाबन्दी में है तो अगले दिवस को पाली आकर प्रमाणित नकले प्राप्त कर अपील 20.09.2020 को पेश की गई। नकल लेने से पूर्व अपीलांट राज्य से बाहर खाने कमाने हेतु रहने से अपीलाधीन म्यूटेशन एवं उसके पश्चातवृती इन्द्राजातो की जानकारी उसे नहीं थी इसलिए अपील सर्वप्रथम जानकारी से अन्दर म्याद शुमार फरमाई जाकर गुणावगुणों पर बाद समीक्षा के अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण व पश्चातवृती नामान्तरकरण निरस्त फरमावे एवं पंजीबद्ध विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण अपीलार्थी के नाम करने के आदेश प्रदान करावे।

रेस्पोडेंटगण की और से उपस्थित अधिवक्ता श्री इन्द्रकुमार सोलंकी भी जैर अपील नामान्तरकरण विधी सम्मत नहीं भरे जाने से सहमत है रेस्पोडेंटगण 1 से 4 के पिता ने अपनी खातेदारी भूमी का बेचाण अपीलार्थी को दिनांक 12.08.2013 को ही विक्रय कर दिया था जिससे पंजीबद्ध विक्रय पत्र की प्रति पत्रावली में है जैर अपील आराजी पर रेस्पोडेंट 1 से 4 का कब्जा नहीं है। अपीलार्थी के पक्ष में उक्त पंजीबद्ध विक्रय पत्र के आधार पर पूर्व नामान्तरकरण निरस्त कर अपीलार्थी के नाम इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में किया जाता है तो उन्हें किसी प्रकार का एतराज नहीं है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4 के पिता श्री पीरसिंह द्वारा अपने 1/3 हिस्से भूमी का बेचाण पंजीबद्ध विक्रय पत्र के जरिए 12.08.2013 को ही कर दिया था। तथा अपील आराजी का कब्जा भी अपीलांट को सौंप दिया था ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंटगण का जैर अपील आराजी पर किसी प्रकार का हक हकूक शेष नही रह जाता है फिर भी उसके पिता की मृत्युपर्यन्त जो नामान्तरकरण पीरसिंह के विधिक वारिशान के नाम भरा गया वह प्रारम्भ से शुन्य (ab initio void) होने से निरस्त योग्य है इस तथ्य से रेस्पोडेंटगण के अधिवक्ता भी सहमत है ऐसी स्थिति में जैर अपील नामान्तरकरण विधी सम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य है इस लिए अपील अपीलांट जानकारी से अन्दर म्याद शुमार की जाती है एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1155 दिनांक 12.05.2016 ग्राम जवड़िया पटवार हल्का पुनायता जो नायब तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत किया गया उसे निरस्त किया जाता है। तथा पंजीबद्ध विक्रय पत्र के अनुरूप राजस्व रेकर्ड में क्रेता/अपीलांट के नाम इन्द्राज करने के आदेश किये जाते है। निर्णय की प्रति तहसीलदार पाली को मूल नामान्तरकरण संख्या 1155 के साथ पालनार्थ प्रेषित की जावे।

पत्रावली इस न्यायालय से शुमार फैसल [illegible] र नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28.1[illegible].2020 को [illegible] द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:36:20 IST
Reason: SelfAttested

Ansh

(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली